जिला शिक्षा अधीक्षक का कार्यालय,(धनबाद)

संख्या– 562 दिनांकः– 03/03/2021

प्रबंधक,

किड्स गार्डेन सेकेण्ड्री स्कूल,झरिया।

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के अधीन विद्यालय के लिए प्रमाण–पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके द्वारा दिनांक 15.10.2019 को समर्पित आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ तत्पश्चात हुए पत्राचार एवं विद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर जिला प्रारम्भिक शिक्षा समिति की दिनांक 01.03.2021 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में किड्स गार्डेन सेकेण्ड्री स्कूल,झरिया को शैक्षणिक सत्र 2021–22 से कक्षा 01 से कक्षा 08 तक के लिए मान्यता प्रदान की जाती है।

उपरोक्त मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैः–

1. इस मान्यता में किसी भी रूप से कक्षा 08 के पश्चात मान्यता/संबद्धन करने के लिए कोई बाध्यता निहित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के उपबन्धों को पूर्ण रूपेण पालन करेगा।
3. विद्यालय अपनी प्रथम कक्षा से उस कक्षा में बालक/बालिकाओं की संख्या 25 प्रतिशत तक का आस–पड़ोस के कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ,उसकी प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक उपलब्ध करायेगा।
4. उक्त कंडिका–3 में उल्लेखित बालक/बालिकाओं के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा–12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के तहत प्रतिपूर्ति राशि हेतु विद्यालय एक अलग बैंक खाता संधारित करेगा।
5. विद्यालय किसी भी प्रकार के बच्चों या उनके अभिभावक से कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा। और विद्यालय में नामांकन हेतु किसी बालक/बालिका या उसके माता–पिता या अभिभावक का किसी प्रकार स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लेगा।
6. विद्यालय किसी बालक/बालिका को उसकी आयु का सबूत नहीं होने के कारण , प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन किया जायेगा।
7. विद्यालय निम्नलिखित विन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक/बालिका को विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुतीर्ण नहीं किया जायेगा। या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा,

(ii) किसी भी बालक/बालिका को शारीरिक दण्ड या मानसिक दण्ड नहीं दिया जायेगा,

(iii) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक/बालिका से कोई बोर्ड परीक्षा उतीर्ण करने की अपेक्षा नहीं किया जायेगा,

(iv) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक/बालिका को अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधान के आलोक में प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा,

(v) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा,

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 3 (1) के अधीन घोषित सक्षम प्राधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम अहर्ताएं के अनुरूप किया जायेगा ,

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन उल्लेखित अपने कर्तव्यों का पालन करें। और

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन की क्रिया–कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

8. विद्यालय राज्य प्राधिकार द्वारा अधिकथित पाठयचर्या के आधार पर पाठयक्रम का पालन करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा उल्लेखित विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाये रखेगा।

10. विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदित की गयी सुविधाएं नियमानुसार हैः–

(i) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल,

(ii) कुल निर्मित क्षेत्र,

(iii) क्रीड़ा–स्थल का क्षेत्रफल,

(iv) कक्षाओं की संख्या,

(v) प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–भण्डागार के लिए कक्ष,

(vi) बालक/महिलाओं के लिए पृथक शौचालय,

(vii) पेयजल सुविधा,

(viii) बाधारहित पहुँच,

(ix) अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता।

11. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेंगी।

12 विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं का क्रीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।

562
03/03/2021

13. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा।

14. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर एकाउन्टेन्ट द्वारा सम परीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा वितरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा वितरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जायेगी।

15. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और जानकारी प्रस्तुत करेगा, जो समय–समय पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार /स्थानीय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जो मान्यता संबंधी शर्तों का सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यालय की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाय।

16. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन राष्ट्रीयकृत इसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जायेगा। सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो तो,को सुनिश्चित किया जायेगा।

आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 08/2021 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्या का उल्लेख किया जाय।

3/3/21

जिला शिक्षा अधीक्षक,
धनबाद।

ज्ञापांक–562/धनबाद, दिनांक 03/03/2021
प्रतिलिपिः– संबंधित,क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी/प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/3/21

जिला शिक्षा अधीक्षक,
धनबाद।

ज्ञापांक 562/धनबाद, दिनांक 03/03/2021
प्रतिलिपिः– उपायुक्त–सह–अध्यक्ष,जिला प्रारम्भिक शिक्षा समिति,धनबाद एवं निदेशक, प्राथमिक, शिक्षा,स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,झारखण्ड,रांची की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

3/3/21

जिला शिक्षा अधीक्षक,
धनबाद।